बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–4/निदे0सी0एस0एस0–67–04/2008– 1118

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
(वैशाली एवं जहानाबाद को छोड़कर) ।

पटना, दिनांक– 22/5/12

विषयः– **जिला छात्रवृति समिति के गठन हेतु पॉच गैर सरकारी समाजसेवी सदस्यो के मनोनयन के संबंध में ।**

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक विभागीय पत्रांक– 5480 दिनांक–10.10.1998 एवं पत्रांक 2320 दिनांक 26.08.2011 का कृपया संदर्भ किया जाय । उक्त पत्र से **जिला छात्रवृति समिति के गठन हेतु पॉच गैर सरकारी समाजसेवी सदस्यो के मनोनयन** हेतु नामों की अनुशंसा का अनुरोध किया गया था जो अबतक अप्राप्त है।

2–कार्यपालिका नियमावली के प्रावधान के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रावधान के आलोक में जिला छात्रवृति समिति के लिए अन्य सदस्यों के अलावे **पॉच गैर सरकारी समाजसेवी सदस्यो का मनोनयन** राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

3–जिला छात्रवृति समिति में जिला के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक–एक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के तीन–(एनेक्सर–1, 2 एवं अल्प संख्यक के एक–एक) समाजसेवी इस प्रकार कुल पॉच गैर–सरकारी सदस्यों के लिए व्यक्ति का मनोनयन आपके अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि उक्त समिति के गठन हेतु गैर–सरकारी सदस्यों के नाम का प्रस्ताव बायोडाटा के साथ यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि नामित सदस्यों के मनोनयन हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

(रवि परमार) 22/5/12
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0सी0एस0एस0–67–04/2008– 1118 पटना, दिनांक –22/5/12

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण /सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव 22/5/12

letter secretary-2011